(137)

PBR/निगरानी/हरदा/भू.रा./2018/02295

न्यायालय समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर मप्र

प्रकरण कमांक........../२०१८

१) दिनेशचन्द्र दुवे आत्मज मूलचंद दुवे

२) पंकज बाफना आत्मज नेमीचंद्र बाफना

कमांक ०१ व ०२ आयु -वयस्क

कमांक ०१ व ०२ निवासीगण - तहसील

व जिला हरदा मप्र....................... निगरानीकर्तागण

श्री दिनेशचन्द्र दुबे
द्वारा आज दि. 7-4-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 12-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 9-4-18

विरुद्ध

सौरभ फुलरे आत्मज संतोष फुलरे

आयु - वयस्क, निवासी - उडा तहसील

व जिला हरदा मप्र............................ उत्तरदाता

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० मप्र भू राजस्व संहिता १९५९

उक्त निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जिला हरदा कें द्वारा निगरानी प्रकरण कमाक ०१/२०१६-१७ मे पारित आलौच्य अतिंम आदेश दिनांक १२.०३.२०१८ कें विरुद्ध दुखित एवं परिवेदित होकर निर्धारित समय अवधि में न्याय दान हेतु प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/हरदा/भूरा/18/ 2295

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
12-4-18	आवेदक अधिवक्ता श्री सुनील जादौन द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । कलेक्टर जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12-3-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर ने म0प्र0नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बधन एवं शर्ते) नियम 1997 के तहत आवेदक को जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र निरस्त किया गया है । उक्त नियमों के तहत राजस्व मण्डल को निगरानी सुनने की अधिकारिता नहीं है अत: यह निगरानी अग्राहय की जाती है। अध्यक्ष	